

पत्रांक: जी. एस. टी/2024-25/फाइल सं0-509/

71

राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 ।

(जी. एस. टी . अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 11 जुलाई, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2023-24 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करते हैं ।

2- यह अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,



(डा0 नितिन बंसल)

आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश।